

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल(म.प्र.)

क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा रिधोरा 15050

बैतूल दिनांक ²⁵ 24/04/2018


म.प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा बादलडोह लघु जलाशय योजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम रिधोरा प.ह.न. 60 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नंबर की भूमि नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है:-

अ.क.	खसरा नंबर	रकबा हे. में	आवेदक द्वारा कय जाने वाला हे. में	विभाग कय किया रकबा	धारक का नाम
	2	3	4		5
1	834/7	0.404	0.404		बंशीलाल वल्द गोपाल जाति पंवार
	834/10	0.140	0.140		
2	834/6	0.440	0.440		मोहनलाल वल्द बंशीलाल जाति पंवार
	834/8	0.100	0.100		
	834/9	0'290	0.290		
	834/11	0.070	0.070		
	836	0.030	0.030		
	7	1.474	1.474		

अतएव आवेदक सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम रिधोरा तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार खसरा नंबर की कुल 1.474 हे. भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयवाधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24-4-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।




 (शशांक मिश्र) 24/4
 कलेक्टर
 बैतूल

कमांक 7 अ-82/17-18 भू-अर्जन/5050 बैतूल दिनांक 24-04-2018

25

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रिघोरा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल
2

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल(म.प्र.)

क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा रिधोरा 15050

बैतूल दिनांक ²⁵ 24/04/2018


म.प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा बादलडोह लघु जलाशय योजना के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम रिधोरा प.ह.न. 60 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नंबर की भूमि नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है:-

अ.क.	खसरा नंबर	रकबा हे. में	आवेदक द्वारा कय जाने हे. में	विभाग कय किया रकबा	धारक का नाम
	2	3	4		5
1	834/7	0.404	0.404		बंशीलाल वल्द गोपाल जाति पंवार
	834/10	0.140	0.140		
2	834/6	0.440	0.440		मोहनलाल वल्द बंशीलाल जाति पंवार
	834/8	0.100	0.100		
	834/9	0.290	0.290		
	834/11	0.070	0.070		
	836	0.030	0.030		
	7	1.474	1.474		

अतएव आवेदक सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम रिधोरा तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार खसरा नंबर की कुल 1.474 हे. भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत-समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24-4-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।




 (शशीक मिश्र) 24/4
 कलेक्टर
 बैतूल

कमांक 7 अ-82/17-18 भू-अर्जन/5050 बैतूल दिनांक 24-04-2018
25

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट **www.betul.nic.in** पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रिघोरा तहसील मुलताई जिला बैतूल (M0P0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल
